

(33)

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
अधिसूचना

संख्या/

पटना, दिनांक

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों में शिक्षकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति, कैरियर संवर्धन एवं उनके सेवा शर्तों के विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** - (1) यह नियमावली बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नाम से जानी जायेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों तक रहेगा।
(3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ** - इस नियमावली में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है नियम-3 में यथावर्णित बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संवर्ग।
 - (ii) "सरकार" से अभिप्रेत है "बिहार सरकार"।
 - (iii) "आयोग" से अभिप्रेत है "बिहार लोक सेवा आयोग"।
 - (iv) "निदेशालय" से अभिप्रेत है "विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय"।
 - (v) "विभाग" से अभिप्रेत है "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग"।
 - (vi) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा।
 - (vii) "सीधी नियुक्ति" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति।
 - (viii) "समिति" से अभिप्रेत है "विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति"।
 - (ix) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति।
 - (x) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।
 - (xi) "परिषद" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप)
 - (xii) "वर्ष के अन्दर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उदभूत रिक्ति।

14

(xiii) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि।

3. बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना -

(1) संवर्ग में निम्नलिखित पद होंगे-

क्र०सं०	पदनाम
1	सहायक प्रोफेसर
2	एसोशियेट प्रोफेसर
3	प्रोफेसर
4	प्राचार्य

स्पष्टीकरण-संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति इस संवर्ग के सदस्य नहीं समझे जायेंगे।

- (2) यह संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा।
- (3) इस सेवा के सदस्यों के लिए वेतनमान एवं सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (4) सहायक प्रोफेसर, एसोशियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले पदों की सृजित संख्याएँ परिषद (अभातशिप) द्वारा विहित अनुपात में होगी।
- (5) प्राचार्य द्वारा यांत्रिकी शाखा के किसी एक एसोशियेट प्रोफेसर को कम शिक्षण कार्य बोझ के साथ कर्मशाला अधीक्षक का दायित्व सौंपा जा सकेगा।
- (6) अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों में विभिन्न संकायों के प्रशासन में प्राचार्य को सहयोग करने हेतु विभागाध्यक्ष के कार्य का निर्वहन, प्राध्यापक के पद धारकों द्वारा, वरीयता एवं चक्रवार के क्रम में, किया जाएगा। विभागाध्यक्ष के रूप में प्राध्यापक की कार्य अवधि तीन वर्ष तक सीमित रहेगी।
- (7) अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों में यदि किसी खास संकाय में कोई प्राध्यापक न हो, तब विभागाध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन सह-प्राध्यापक द्वारा, वरीयता एवं चक्रवार के क्रम में किया जाएगा। विभागाध्यक्ष के रूप में सह-प्राध्यापक की कार्य अवधि तीन वर्ष तक सीमित रहेगी।

4. रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना - प्रत्येक वर्ष विभाग उस वर्ष के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों हेतु सहायक प्रोफेसर, एसोशियेट प्रोफेसर, प्रोफेसर एवं प्राचार्य के पदों पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरी

५

जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी और उसके अनुसार सीधी नियुक्तियों द्वारा भरी

जाने वाली रिक्तियों की सूचना 30 अप्रैल तक आयोग को प्रेषित करेगी।

5. सीधी नियुक्ति - (1) संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।
(2) सीधी नियुक्ति की स्कीम परिशिष्ट-1 पर उपबंधित है, जिसमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
6. आरक्षण - इस सेवा में सीधी नियुक्ति में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू रहेंगे। आरक्षण रोस्टर विषयवार संधारित होगा।
7. उम्र-सीमा - सीधी नियुक्ति के लिए संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निम्नवत होगी:-

(क) सहायक प्रोफेसर	22 वर्ष
(ख) एसोसियेट प्रोफेसर	31 वर्ष
(ग) प्रोफेसर	37 वर्ष
(घ) प्राचार्य	37 वर्ष

उम्र की गणना का आधार आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन के वर्ष की संदर्भ तिथि पहली अगस्त होगी।

8. वरीयता - विभाग प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में संवर्ग के प्रत्येक पद के लिए में विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों की वरीयता सूची प्रकाशित करेगी। कैरियर संवर्धन योजना के अधीन लाभ प्राप्त तथा सीधी नियुक्ति द्वारा सेवा में आए सदस्यों की वरीयता सूची अलग-अलग संधारित होगी।
9. कैरियर संवर्धन योजना- (1) कैरियर संवर्धन योजना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए कैरियर उन्नति योजना] विनियम, 2012 के अनुरूप, लागू होगा। कैरियर संवर्धन योजना का लाभ समिति/आयोग की अनुशंसा के आधार पर देय होगा तथा शिक्षकों द्वारा धारित मूल पद तदनुरूप उत्क्रमित होंगे। परन्तु संवर्ग के सभी सृजित पदों की कुल संख्या के अधीन ही कैरियर संवर्धन लाभ देय होगा। सेवा निवृत्ति या अन्यथा रिक्त होने पर उत्क्रमित पद स्वतः मूल पद के रूप में अवक्रमित हो जायेगा।
- (2) प्रत्येक मामले में कैरियर संवर्धन योजना का लाभ तभी देय होगा जब संबंधित शिक्षक, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कैरियर संवर्धन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु सभी शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करते हों।
- (3) सेवा संवर्ग में सहायक प्रोफेसर से एसोसियेट प्रोफेसर के पद तक कैरियर संवर्धन लाभ समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।
- (4) एसोसियेट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद तक कैरियर संवर्धन के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति अपनी संस्तुति आयोग को भेजेगी एवं आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही कैरियर संवर्धन का लाभ देय होगा।
- (5) समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

2

2

21/9/2019

- 1336
10. स्थापना संबंधी कार्यो का नियंत्रण - इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, कैरियर संवर्धन, पदस्थापना, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होगा।
 11. प्रतिनियुक्ति - इस संवर्ग के सदस्यों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभाग/निदेशालय के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के उपयुक्त गैर संवर्गीय पदों पर अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जा सकेगा।
 12. अनुशासनिक कार्रवाई - सेवा के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीलीय) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।
 13. विविध - जिन विषयों या विन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।
 14. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ सरकार आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।
 15. निर्वचन - जहाँ इस नियमावली के किसी नियम के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ इस विषय पर राज्य सरकार का निर्णय मान्य होगा।
 16. कठिनाइयों का निराकरण - नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
 17. निरसन एवं व्यावृत्ति - (1) इस नियमावली के निर्गमन के पूर्व इस संबंध में निर्गत संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र के तहत की गई नियुक्तियाँ या निर्गत किए गए आदेश प्रवृत्त और विधिमान्य बने रहेंगे, मानों वे इस नियमावली के समुचित उपबंधों के अधीन निर्गत किए गए हों।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/12/2014
अपर सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

जापांक - वि0प्रा0(1)स्था0-04/2014

/पटना, दिनांक-

1335

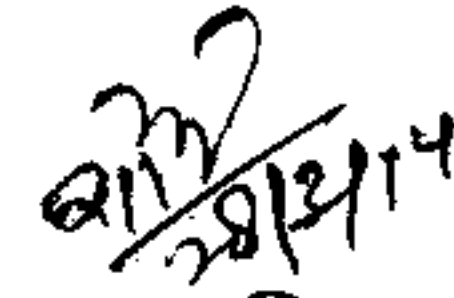
प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि 500 (पाँच सौ) अदद मुद्रित प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


अपर सचिव।

जापांक - वि0प्रा0(1)स्था0-04/2014

896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों/ सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्वद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक - वि0प्रा0(1)स्था0-04/2014

896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक - वि0प्रा0(1)स्था0-04/2014

896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

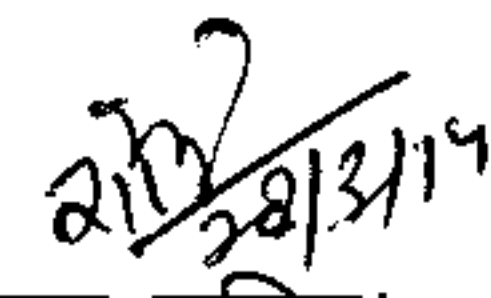
प्रतिलिपि- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक - वि0प्रा0(1)स्था0-04/2014

896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक - वि0प्रा0(1)स्था0-04/2014

896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक - वि0प्रा0(1)स्था0-04/2014

896 /पटना, दिनांक- 28/3/2014

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/आप्त सचिव, मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव।

334

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

परिशिष्ट-1

तालिका-1

बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए विहित अर्हता एवं अनुभव :-

क्र०सं०	पद	न्यूनतम अर्हता	अनुभव
1	सहायक प्रोफेसर	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी प्रासंगिक शाखा में बीई/ बी.टेक और एमई/एम. टेक जिसमें बीई/ बी.टेक अथवा एमई/एम.टेक में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हों। मानविकी एवं विज्ञान (1) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहां पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो-तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो-अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समतुल्य डिग्री हो। (2) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है-अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा-अथवा इस के समतुल्य परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि। (3) जो अभ्यर्थी पी.एच.डी. हैं या जिनको पी.एच.डी. उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि प्रदान हेतु न्यूनतम मापदण्ड एवं प्रक्रिया) अधिनियम 2009 के अनुपालन द्वारा दी गयी हो, उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की 1 एवं 2 कंडिका की अर्हता से छूट रहेगी।	—

2	एसोसियेट प्रोफेसर	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी सहायक प्रोफेसर के पद के लिए उपर्युक्तानुसार अर्हताएं यथालागू तथा उपर्युक्त विषयक्षेत्र में पी.एच.डी. अथवा समकक्ष पोस्ट पीएच.डी. प्रकाशन तथा पीएचडी. छात्रों को गाइड करना अत्यंत वांछनीय	353 शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से 2 वर्षीय पोस्ट पीएचडी. अनुभव वांछनीय है। वास्तुकला के मामले में, वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 5 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।
		मानविकी एवं विज्ञान (i) पीएचडी डिग्री में प्राप्त श्रेष्ठ शैक्षणिक रिकार्ड- जो डिग्री सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषयों में प्राप्त की गई हो। (ii) न्यूनतमनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा किसी 'पॉइन्ट स्केल' के अन्तर्गत समस्तरीय ग्रेड हो, जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।	(i). किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित शोध संस्थान/उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अथवा शोध का अनुभव हो जो कि सहायक प्रोफेसर के स्तर के समतुल्य हो तथा जो समस्त अनुभव पीएचडी के लिए किए गए शोध के अतिरिक्त हो तथा प्रकाशित रचनाओं के साक्ष्य द्वारा समर्थित हो तथा न्यूनतम 5 प्रकाशित रचनाएं जो पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषयगत नीति से जुड़े प्रपत्रों के साथ समर्थित हों। (ii) अभ्यर्थी को शैक्षणिक नवोन्मोषी डिजाइन युक्त नूतन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विषयों एवं उसकी प्रौद्योगिकी-माध्य से युक्त शैक्षिक प्रक्रिया का अनुभव हो तथा इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने शोध छात्रों एवं अभ्यर्थियों का मार्ग दर्शन किया है। (iii) रेगुलेशन 2010 के अनुसार शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निष्पादन आधारित समीक्षात्मक प्रणाली के अनुरूप न्यूनतम प्राप्तांक होना अनिवार्य है।

3	प्रोफेसर	<u>इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी</u> उक्त अर्हता अर्थात एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए लागू पोस्ट पीएचडी. प्रकाशन तथा पीएचडी. छात्रों को गाइड करना अत्यन्त वांछनीय	332 शिक्षण /शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव एसोसियेट प्रोफेसर स्तर पर होना चाहिए। अथवा शिक्षण और / अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव। शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक /शोध पत्र /प्रकाशन/ आई पी आर/ पेटेंटों के रिकार्ड आयोग से आवश्यक समझ जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग के अनुभव पर विचार किया जाता है तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए जो एसोसियेट प्रोफेसर के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइन आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता, नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/ शोध पत्र प्रकाशन/ आई पी आर/ पेटेंटों आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसा आयोग द्वारा आवश्यक समझा जाए। वास्तुकला के मामले में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 5 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।
		<u>मानविकी एवं विज्ञान</u> (i) एक प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी०एच०डी० में अर्हता अपने सम्बद्ध/समवर्गी/ प्रासंगिक विषय में प्राप्त है, जिनकी प्रकाशित रचना बहुत उत्कृष्ट कोटि की है, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रन्थ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएं हों- पुस्तकों एवं/अथवा शोध/एवं विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र है। (ii) शैक्षिक नवोन्मेष, नूतन पाठ्यक्रम तथा विषयों का विस्तार एवं	(i) किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो; अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच०डी० स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशा निर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो।

		प्रौद्योगिक-माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया। (iii) शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) में निर्दिष्ट न्यूनतम प्राप्तांकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) यूजीसी रेगुलेशन 2010 के अनुरूप न्यूनतम प्राप्तांक होना चाहिए। अथवा एक उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाए।	1331
4	प्राचार्य	उपर्युक्तानुसार अर्हताएं अर्थात् प्रोफेसर के पद के लिए यथा लागू पोस्ट पीएचडी. प्रकाशन तथा पीएचडी. छात्रों को गाइड करना अत्यंत वांछनीय	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष प्रोफेसर के स्तर पर होना चाहिए अथवा - शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव। शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक/शोध-पत्र प्रकाशन/आई. पी. आर/ पेटेंटों के रिकार्ड आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे। यदि उद्योग का अनुभव विचार किया जाता है तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए जो प्रोफेसर के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग आयोजन कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता, नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसा कि आयोग द्वारा आवश्यक समझा जाय। प्रबंधन एवं नेतृत्व के लिये अभिरूचि अनिवार्य है। वास्तुकला के मामले में वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 10 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।

